प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी -01

(नियम 138 देखें)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

तारीख, जिससे विधिमान्य है :

तारीख, जिस तक विधिमान्य है :

भाग-क		
क. 1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 2	प्रेषण का स्थान	
क. 3	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 4	परिदान का स्थान	
क. 5	दस्तावेज संख्यांक	
क. 6	दस्तावेज की तारीख	
क. 7	माल का मूल्य	
क. 8	एचएसएन कोड	

क. 9	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख. 1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख. 2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक/रक्षा यान संख्यांक/अस्थायी यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/नेपाल या भूटान यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

टिप्पण:

1. क. 8 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।
2. दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।
3. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।
4. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।
5. प्रेषण का स्थान, प्रेषण के स्थान में पिन कोड दर्शित करेगा ।
6. जहां प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब, यथास्थिति, स्तंभ क.1 या स्तंभ क.3 में "यूआरपी" शब्द भरे जाएंगे ।
7. परिवहन के लिए कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	विवरण
1	प्रदाय

2	निर्यात या आयात
3	छुट-पुट कार्य
4	एसकेडी या सीकेडी
5	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6	लाइन सेल्स
7	विक्रय की विवरणी
8	प्रदर्शनी या मेले
9	स्वयं के उपयोग के लिए
0	अन्य